गन्ना खड़ा है उसको पैराई में लगाइए। इसीलिए 101 चीनी मिलें 1 जुलाई तक चली थी और आज भी 4-6 मिलें चल रही हैं। कल तक किसानों के बीच में यह समस्या थी कि गन्ना खेतों में खड़ा है, इस समस्या को हल करना था। ....**(व्यवधान)** कुछ माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है कि गन्ना एरियर्स का भुगतान केवल उत्तर प्रदेश में ही हुआ है तो यहां मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक रुप से माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी काफी रुची ली है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बकाया हो गया था। पिछले दिनों जो पूरे देश में आंका गया था उसमें 1300 करोड़ रुपया किसानों का एरियर्स बकाया था। इसलिए आर.बी. आई. के जरिए देश के सभी राज्यों में, जहां गन्ना पैदा होता है उन सभी जगह एक साथ सरकुलर भेजा गया कि जल्द से जल्द एरियर का भुगतान किया जाए। यह सरकुलर भज दिया गया है। पी.एम. का जो आर्डर हुआ था उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। सभी जगह सरकुलर भेज दिया गया था, जहां-जहां एरियर्स था। देश के किसी भी राज्य में जो एरियर है उसका भुगतान करने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने में यू.पी. का आधा भुगतान होगा, और राज्यों में भी जो एरियर्स हैं उनका भुगतान भी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। स्टेट का एडवायजरी प्राइस और जो हमारा प्राइस है वह स्टेचुटरी प्रिझिसम है, अगर इसमें कुछ फर्क हो जाता है तो इस कारण भी विलम्ब यही मूल कारण है। इसलिए यह सरकार किसानों के हितों के कृतसंकल्पित है। ...**(व्यवधान)**

श्री राम (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया पूर्णतःवह : असंतोषजनक है। इन्होंने गन्ना किसानों का दुख-दर्द नहीं है। इनको उचित मुआवजा देने की कोई बात नहीं है इसलिए सरकार की इस भूमिका के विरोध में हम सारे विपक्ष के लोग सदन का बहिर्गमन करते हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न बजे.

इस समय श्री म ना रा कि और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन बाहर से गये चले ।

सभा महोदय : सभा अब कार्य सूची की अन्य मद पर क नियम 377 के अधीन मामले।

श्री हरिन पाठक : उपस्थित नहीं।

डा. विलास वेदान्ती : उपस्थित नहीं।

डा. सिन्धुकृपा भोई।

डा. सिन्धुकृपा भोई खड़े हुए। ...**(व्यवधान)**

अपराह्न बजे

प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों का स्वागत करता हूं। जब यह मामला उठाया गया था मैं एक बैठक में था और मुझे थोड़ी देर हो गई।

महोदय यदि आप मुझे अनुमति दें तो गन्ना उत्पादकों की जो भी बकाया राशि हैं उसके बारे में मैं स्पष्ट बात कहता हूं। जहां तक गन्ना उत्पादकों का सम्बन्ध है, जिस बात में आप रुचिकर हैं उसी में हम भी रुचिकर हैं। अतः यहां पर लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं है।

मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि कार्यभार संभालने के पश्चात सब से पहले मैंने अपनी बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, गन्ना आयुक्त और उद्योग सचिव से की थी। मैंने उन्हें बुलाया था और दो दिन तक उनसे बैठक की थी। गन्ना उत्पादकों की 900 करोड़ रुपये की राशि बकाया है और उन्हें बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन चीजों के बारे में कहने वाला कोई नहीं है, न ही उन्हें कोई इनके बारे में बताता है। मैं स्पष्टरुप से आपको बताता हूं। पिछले डेढ़ वर्ष से राज्य में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। पिछले लगभग दो वर्षों से राज्य में राष्ट्रपति का शासन है।

मैंने एक निर्णय लिया है। इतना ही नहीं मैं लखनऊ गया था और वहां बैठक की थी। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 900 करोड़ रुपये में से पहली किस्त के रुप में एक महीने के भीतर 450 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया जायेगा। मैंने निर्णय लिया है **(व्यवधान)** कृपया मुझे सुनें। यदि मुझे पता होता कि यह मामला यहां उठने वाला है। तो मैं सारा ब्यौरे ले आता।

मुझे यहां लगा है कि कुछ फैक्टरियों बैकों से धन लेने के बारे में सहयोग नहीं कर रही हैं। मैंने बैंक के लोगों को भी बुलाया था और उन्हें कहा था कि वे विभिन्न चीनी मिलों में जमा भण्डार पर अग्रिम धन दें। परन्तु दुर्भाग्यवशः उत्तर प्रदेश में जो तरीका अपनाया जाता है वह अन्य राज्यों में अपनाये जाने वाले तरीके से अलग है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कर्नाटक में मुझे गलत मत समझे—850 करोड़ रुपये मूल्य की चीनी फैक्टरियों में पड़ी है वहां पर भण्डार जमा हो गये हैं। वहां पर 28 अथवा 29 चीनी फैक्टरियां हैं। परन्तु वहां पर बकाया राशि का कोई प्रश्न नहीं है। हमने गन्ना उत्पादकों को देय लगभग सभी राशि का भुगतान करने का प्रयास किया है। जहां जहां, 15 लाख, 20 लाख, अथवा एक करोड़ रुपये की राशि बकाया हो सकती है। मुख्य मंत्री के नाते मैंने सभी बकाया राशि का भुगतान करने का प्रयास किया था।

इस बार उन्होंने अतिरिक्त गन्ने का उत्पादन किया है। अतः मैं चाहता हूं कि पेराई की समस्या है। महाराष्ट्र, कनार्टक, तमिलाडु तथा उत्तर प्रदेश सभी जगह यह समस्या है। यही कारण है कि हमने उन सभी लोगों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है जो निजी क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र में चीनी की फैक्टरियां लगाना चाहते हैं। हम एक पैसा भी बकाया नहीं रखना चाहते। मैंने अपने साथी खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री को इस बारे में अनुदेश दिये हैं। हम किसी भी फैक्टरी की स्थापना को रोकना अथवा उसमें वलम्ब करना नहीं चाहते। हम सभी परियोजनाओं को मंजूरी देना चाहते हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : लाइसेंसिंग खत्म कीजिए।

श्री एच.डी.देवेगौडा : कृपया मुझे सुनें आपने जो सलाह दी उसके लिए मैं आभारी हूं। **(व्यवधान)** कुछ समस्याएं हैं निर्णय लेने से पूर्व मुझे सहकारी क्षेत्र में स्थापित चीनी फैक्टरियों के हितों को भी ध्यान में रखना है। चाहे यह महाराष्ट्र हो अथवा उत्तर प्रदेश, गन्ने की स्थिति जाने बिना चीनी फैक्टरियों की अन्धाधुन्ध स्थापना से सहकारी क्षेत्र को नुकसान होगा। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है। इससे पूर्व कि हम लाइसेंस खत्म करे हमें लाइसेंसिंग खत्म करने की जटिलताओं के बारे में पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए। यही कारण है कि मैंने इस बारे में निर्णय नहीं लिया है। मामला सरकार के विचाराधीन है। परन्तु एक बात है जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। राज्य सरकारों की भी कुछ जिम्मेदारियां है। इस धारणा में न रहिये कि सारा बोझ केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

कर्नाटक में मैंने गन्ना उत्पादकों को 42 करोड़ रुपये की राहत देने का निर्णय लिया है। वित्तीय बाधाओं के बावजूद मैं किसानों की सहायता करने से कभी नहीं हिचकचाया हूं। यद्यपि मैं यह नहीं बताना चाहता तथपि अन्य राज्यों को भी यही तरीका अपनाना चाहिए जो हमने अपनाया है। हमने ऐसा किया है और उत्तर प्रदेश में मैंने वित्त सचिव तथा बैंकिग सचिव को स्टाक गिरवी रखकर चीनी फैक्टरियों को कुछ धन देकर उनके साथ सहयोग करने के लिए राजी कर लिया था परन्तु राशि सहकारी समितियों को चली गई। वे वहां पर बिचौलिए हैं। राशि गन्ना उत्पादकों को नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में तरीका अलग है। यह क्या तरीका है जो कि मुझे केवल अभी पता चला है। यह बिल्कुल भिन्न है। राशि सीधे चीनी मिलों से गन्ना उत्पादकों को नहीं मिल रही है। वहां सहकारी समितियां बिचौलियों का कार्य कर रही हैं। वे धन वितरित करते हैं। यह प्रबन्ध किये जाने के बाद फैक्टरियों से क्या दिया जाना है? **(व्यवधान)** मैं यही कहना चाहता हूं। **(व्यवधान)** उन्हें उसका भुगतान करना होता है। गन्ना उत्पादकों और फैक्टरी के बीच बिचौलिये होते है। एक अन्य संगठन और वह है सहकारी समिति **(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : महोदय, ये समितियां भी गन्ना उत्पादकों की हैं। **(व्यवधान)**

श्री एच.डी. देवेगौडा : यह ठीक है। मैं यह जानता हूं। यह पद्धति वहां क्यों है और उसका क्या लाभ है? मैं जानना चाहता हूं। मैं पद्धति पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। मैं उस पद्धति की जांच करुंगा कि क्या यह गन्ना उत्पादकों के लिए लाभदयिक है अथवा इस से किसानों को सहायता नहीं मिलेगी। सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से जांच करेगी और यदि यह किसानों के लिए लाभदयिक नहीं है तो हम बिचौलियों से बचना चाहेंगे। प्रत्यक्षरुप से गन्ना उत्पादक जो माल फैक्टरी को दे रहा है उसका मूल्य उसे भी निश्चित करना चाहिए। मैंने मुख्य सचिव को इसकी जांच करने के लिए कहा है क्योंकि मैं सीधे कोई निर्णय नहीं ले सकता। जब तक चुनाव नहीं हो जाते मुझे मुख्य सचिव और राज्यपाल के माध्यम से ही इस मामले से निपटना है। चुनाव के पश्चात यदि आप सत्ता में आ जाते हैं तो हम देखेंगे कि आप क्या करते हैं और यदि हम सत्ता में आते हैं तो आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं।

इसी बीच यह सरकार अन्धी नहीं है। यह सरकार सो नहीं रही है। मैं आपको स्पष्ट रुप से बताना चाहता हूं कि जहां तक किसानों का सम्बन्ध है मैं वही करने जा रहा हूं जो मैं सबसे उत्तम कर सकता हूं। मैं एक महीने में 450 करोड़ रुपये का भुगतान कर दूंगा। मैंने यह अनुदेश दे दिये हैं। उन्होंने 240 अथवा 250 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है और बकाया लगभग 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाने वाला है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कुछ समय बाद। वह अपना भाषण समाप्त कर ले। उसके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय आपने प्रधान मंत्री जी को ध्यानाकर्षण पर बोलने की अनुमति दी है। परन्तु अब प्रश्न नियम 377 के अधीन मामले उठाने का है। मेरा नाम सूची में सबसे उपर है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उन्हें सदन में किसी भी समय हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

श्री हरिन पाठक : परन्तु उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हस्तक्षेप किया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने श्री भोई को बुलाया है।

श्री हरिन पाठक : मेरा नाम सूची में सबसे ऊपर है।

सभापति महोदय : उनका नाम ऊपर है। वह सदन में बैठे हुए हैं। आप नहीं।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : उसके बाद क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे।

सभापति महोदय : आपको नियमों के अनुसार अवसर मिलेगा। अब बैठ जाइये।

अपराहन 4.10 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रुप से लागू किये जाने की आवश्यकता

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : राज्य के विभिन्न भागों में मलेरिया को पुनरावृत्ति में वहां प्रत्येक व्यक्ति को बहुत चिन्ता हो रही है। यह रोग जनजाति जिलों में तेजी से फैल गया है।